Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

सत्यनारायण बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **114** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाति लबाना उम्र 35 वर्ष निवासी नया फलां, मुंगाणा पुलिस थाना पारसोला तहसील धरियावद, प्रतापगढ (राज.) की और से पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 217/2022 दिनांक 15.05.2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5 व 6 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1955 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 03 GA 1898** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाप्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/4835 दिनांक 18.10.2022 से अवगत कराया गया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इसके साथ ही न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 134/2022 (रे.वि.) अन्तर्गत धारा 457 जाप्ता फौजदारी अनवानी विश्वेन्द्रसिंह चौधरी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एस.के. फाईनेंस लिमिटेड शाखा चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार की और उक्त वाहन सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है जो कि आज ही वास्ते सुनवाई हेतु नियत है। उक्त प्रकरण के अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर। उक्त दोनो ही प्रकरणों में एक ही वाहन सिपुर्दगी बाबत् दाद चाही गई है, अतः उक्त दोनो प्रकरणों को एक साथ सुनवाई हेतु रखा गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। इसके साथ ही प्रकरण संख्या 134/2022 के अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन के अधिकृत स्वामी **(Hypothecation Agreement Holder)** को स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से प्राप्त टिप्पणी का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी,	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 03 GA 1898** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 03 GA 1898** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है।ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में वाहन स्वामी स्वयं वाहन प्राप्त करना चाहते एवं इसके साथ ही अधिकृत स्वामी **(Hypothecation Agreement Holder)** भी वाहन अपनी सिपुर्दगी में चाहते है ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी को ही सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः स्वामी द्वारा रूपये **5,00,000/-** अक्षरे पांच लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाति लबाना उम्र 35 वर्ष निवासी नया फलां, मुंगाणा पुलिस थाना पारसोला तहसील धरियावद, प्रतापगढ (राज.) को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं उक्त आदेशानुसार प्रकरण संख्या 134/2022 (रे.वि.) अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी अनवानी विश्वेन्द्रसिंह चौधरी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एस.के. फाईनेंस लिमिटेड शाखा चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार सारहीन होने से खारीज किया जाता है। अहकाम की प्रमातिण प्रतिलिपि प्रकरण संख्या 134/2022 (रे.वि.) अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी अनवानी विश्वेन्द्रसिंह चौधरी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एस.के. फाईनेंस लिमिटेड शाखा चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार में रिकार्ड पर रखी जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 30.11.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	